

न्यासी मंडल, मुंबई पत्तन

बनाम

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन

16 अप्रैल, 1998

[सुजाता वी. मनोहर और डी.पी. वाधवा, न्यायमूर्तिगण]

प्रमुख बंदरगाह न्यास अधिनियम, 1963: धारा 64।

दरों और प्रभारों की कुर्की या पोत की गिरफ्तारी और विक्रय द्वारा वसूली - अभिनिर्धारित: पोत पर न्यास बोर्ड का ग्रहणाधिकार सर्वोपरि है, जो समापन में सुरक्षित लेनदारों के दावों से भी ऊपर है - बोर्ड की सहमति के बिना इसे बुझाया नहीं जा सकता है या न्यायालय के निर्देशों के तहत किसी भी प्राधिकरण द्वारा पोत का विक्रय नहीं किया जा सकता है - कंपनी अधिनियम, 1956 धारा 446 और 529।

एक कंपनी का एक पोत बंदरगाह पर पहुँचा और लंगरगाह पर खड़ा रहा। यह प्रमुख बंदरगाह न्यास अधिनियम, 1963 के प्रावधानों और अपीलकर्ता-बोर्ड द्वारा उसके तहत बनाए गए डॉक दरों के पैमाने के तहत प्रभार्य लंगरगाह और अन्य प्रभारों का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हो गया। पत्तन न्यास के प्रभारों का भुगतान न करने के कारण, अपीलकर्ता ने अधिनियम की धारा 64 के तहत उक्त पोत को गिरफ्तार कर लिया और उक्त पोत की नीलामी-बिक्री के लिए एक सार्वजनिक सूचना जारी की।

कंपनी ने पोत की प्रस्तावित नीलामी-बिक्री को आक्षेपित करते हुए उच्च न्यायालय में एक विनिर्दिष्ट आदेश याचिका दायर की, जिसे संक्षेप में खारिज कर दिया गया। अपील में, कंपनी ने अपीलकर्ता को सभी प्रभारों का भुगतान करने का वचन दिया और इसलिए, नीलामी स्थगित कर दी गई। हालांकि, कंपनी ने प्रभारों का भुगतान नहीं किया। तत्पश्चात्, अपीलकर्ता द्वारा पोत को बेचने के लिए किए गए आगे के प्रयासों को कंपनी के इशारे पर शुरू किए गए वाद के कारण फिर से रोक दिया गया। जब पोत कंपनी द्वारा गिरफ्तार रहा,

तो उत्तरदाता-याचिकाकर्ता लेनदार द्वारा उक्त कंपनी के विरुद्ध उच्च न्यायालय में एक कंपनी याचिका दायर की गई। उक्त कंपनी याचिका में, आधिकारिक परिसमापक नियुक्त किया गया और समापन का आदेश पारित किया गया। इस बीच, आधिकारिक परिसमापक ने अपीलकर्ता को उक्त पोत के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया और आगे निर्देश दिया कि यदि पोत को बेचा जाना प्रस्तावित है, तो कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 446 के तहत उच्च न्यायालय की अनुमति ली जानी चाहिए।

तत्पश्चात्, अपीलकर्ता ने उक्त कंपनी याचिका में एक आवेदन किया, जिसमें प्रार्थना की गई कि उसे उक्त पोत के विक्रय आगम से अपने प्रभारों की वसूली करने की अनुमति दी जाए और दावा किया कि उक्त पोत के संबंध में अपीलकर्ता का अधिकार दूसरों की तुलना में श्रेष्ठ है। अपीलकर्ता की यह प्रार्थना कि उसे अकेले पोत बेचने और उसके बकाया के लिए विक्रय आगम को रखने की अनुमति दी जाए, उच्च न्यायालय द्वारा अस्वीकार कर दी गई। उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि वैश्विक विज्ञापन जारी करने के बाद पोत को बेचा जाए। उच्च न्यायालय ने आगे निर्देश दिया कि चूंकि कंपनी के पास विज्ञापन या विक्रय की लागत को पूरा करने के लिए उपयोग किया जा सकने वाला कोई पैसा नहीं है, इसलिए अपीलकर्ता को ऐसे विज्ञापन और विक्रय की लागत और उससे जुड़े सभी आकस्मिक प्रभारों को पूरा करना होगा, जिसे अपीलकर्ता विक्रय आगम पर प्रथम प्रभार के रूप में वसूल करने का हकदार होगा। अतः यह अपील दायर की गई।

अपील को स्वीकार करते हुए, इस न्यायालय ने:

अभिनिर्धारित किया: 1. बंदरगाह प्राधिकरण जहाजों - राष्ट्रीय या विदेशी - को लंगर डालने और उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का लाभ उठाने की अनुमति देते हैं। भुगतान के लिए वे पोत पर देखते हैं। मालिक विदेशी हो सकता है या बंदरगाह प्राधिकरण के लिए अज्ञात भी हो सकता है। बकाया वसूली का बाद वाले का अधिकार किसी भी न्यायालय में मालिक के विरुद्ध लंबित किसी भी कार्यवाही से - चाहे वह समापन में हो या अन्यथा -

प्रभावित नहीं होता है। बंदरगाह प्राधिकरण पोत के बंदरगाह में लंगर डाले रहने के दौरान उसे गिरफ्तार कर सकता है और यदि बकाया का भुगतान नहीं किया जाता है तो पोत के विक्रय द्वारा उस पोत के संबंध में अपना बकाया वसूल कर सकता है। पोत पर एक बंदरगाह प्राधिकरण का यह ग्रहणाधिकार एक सर्वोपरि ग्रहणाधिकार है और पोत के विक्रय द्वारा बंदरगाह प्राधिकरण द्वारा अपने बकाया की वसूली सुरक्षित लेनदारों की प्राथमिकताओं से ऊपर है। बंदरगाह प्राधिकरण के सांविधिक ग्रहणाधिकार की सर्वोपरि स्थिति समापन में सुरक्षित लेनदारों के दावों से भी ऊपर है। जब तक बंदरगाह प्राधिकरण ऐसी बिक्री के लिए सहमति न दे, तब तक न्यायालय के निर्देशों के तहत या अन्यथा किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा ग्रहणाधिकार समाप्त नहीं किया जा सकता है या पोत को बेचा नहीं जा सकता है। [779-एफ- जी]

अशोक आर्य बनाम एम.वी. कपितान मित्सोस, ए.आई.आर. (1998) बॉम. 329 और फॉरवर्डिंग प्रा. लि. बनाम न्यासीज, विजागापटनम पत्तन, (1987) 61 कंपनी मामलों 513 बॉम., अनुमोदित।

एम.के. रंगनाथन बनाम मद्रास सरकार, [1955] 2 एस.सी.आर. 383 और इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. बनाम श्रीनिवास एजेंसीज, [1996] 4 एस.सी.सी. 165, आधारित।

द एमिली मिल्टन [1905] 2 के.बी. 817, मर्सी डॉक्स एंड हार्बर बोर्ड बनाम हे, री द क्वीन ऑफ द साउथ, [1968] 1 ऑल ई.आर. 1163 और ब्रिटिश शिपिंग लॉज सीरीज खंड 14 ऑन "मैरीटाइम लिसेंस" डॉ. डी.आर. थॉमस द्वारा कंडिका 414, संदर्भित।

2.1. प्रमुख बंदरगाह न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 64 के तहत अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए अपीलकर्ता न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना पोत को बेचने का हकदार है। उस सर्वोपरि अधिकार का प्रयोग करते हुए, जो सुरक्षित लेनदारों सहित अन्य सभी लेनदारों के दावों को अधिरोहित करता है, अपीलकर्ता को पोत को गिरफ्तार करने और बेचने का

अधिकार है। अपीलकर्ता की सहमति के बिना, इस अधिकार को पोत के विक्रय आगम में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। अपीलकर्ता को उसकी सहमति के बिना इस सांविधिक अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है या कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत अन्य प्राथमिकताओं के अधीन नहीं किया जा सकता है। अपीलकर्ता ने उक्त पोत के संबंध में कोई भी वैश्विक विज्ञापन जारी करने पर भी आपत्ति जताई है क्योंकि पोत 1987 से लंगरगाह पर पड़ा हुआ है और बहुत जर्जर हालत में है। इसके अंतर्राष्ट्रीय बोली को आकर्षित करने की संभावना नहीं है। विक्रय आगम से अपीलकर्ता के पूरे सांविधिक प्रभारों को भी कवर किए जाने की संभावना नहीं है। अपीलकर्ता ने समापन में अन्य सुरक्षित लेनदारों के बराबर माने जाने पर भी आपत्ति जताई है। [782- डी- ई]

2.2. अपीलकर्ता को सांविधिक रूप से दी गई पर्यवेक्षण प्राथमिकता को देखते हुए, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश को अपास्त किया जाता है। अपीलकर्ता अपने नियमों और विनियमों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पोत को नीलामी द्वारा बेचने का हकदार होगा और उक्त पोत के विक्रय आगम से कानून के अनुसार अपने सांविधिक बकाया की वसूली करने का हकदार होगा और विक्रय आगम का कोई भी अधिशेष, यदि कोई हो, तो अपीलकर्ता द्वारा समापन में आधिकारिक परिसमापक के पास जमा किया जाएगा। अपीलकर्ता आधिकारिक परिसमापक के समक्ष समापन की कार्यवाही में अपने बकाया और पोत के विक्रय आगम से उसकी वसूली का एक लेखा-जोखा भी दाखिल करेगा।

[782-एफ-एच; 783-ए]

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार : दीवानी अपील सं. 2085/1998।

पटना उच्च न्यायालय के कंपनी याचिका सं. 5/1990 के दिनांक 26.11.96 के निर्णय और आदेश से उद्धृत।

अपीलकर्ता के लिए अशोक एच. देसाई, महान्यायवादी, यू.जे. काखीजा, दिनेश माथुर और श्रीमती ए.के. वर्मा मेसर्स जे.बी.डी. एंड कंपनी के लिए।

उत्तरदाता के लिए आर.पी. भट्ट, एम.एन. श्रॉफ और सुश्री सुवीरा लाल।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

श्रीमती सुजाता वी. मनोहर, न्यायमूर्ति, अनुमति प्रदान की गई।

यह अपील न्यासी मंडल मुंबई पत्तन द्वारा मेसर्स ठाकुर शिपिंग कंपनी लिमिटेड के समापन के लिए कंपनी याचिका सं. 5/1990 में पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित एक आदेश के संबंध में दायर की गई है।

मेसर्स ठाकुर शिपिंग कंपनी लिमिटेड का एक पोत, एम.वी. वरुणा कच्छपी, मई 1985 में मुंबई के बंदरगाह पर पहुँचा और लंगरगाह पर खड़ा रहा। यह प्रमुख बंदरगाह न्यास अधिनियम, 1963, जैसा कि प्रमुख बंदरगाह न्यास (संशोधन) अधिनियम, 1974 द्वारा संशोधित किया गया था, और अपीलकर्ता द्वारा उसके तहत बनाए गए डॉक दरों के पैमाने के प्रावधानों के तहत प्रभार्य लंगरगाह और अन्य प्रभारों का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हो गया। बकाया पत्तन न्यास प्रभारों के मद्देनजर, अपीलकर्ता-पत्तन न्यास ने प्रमुख बंदरगाह न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 64 के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए उक्त पोत को गिरफ्तार कर लिया। इसने दिनांक 14 अगस्त, 1987 को उक्त पोत की नीलामी बिक्री के लिए एक सार्वजनिक सूचना जारी की।

मेसर्स ठाकुर शिपिंग कंपनी लिमिटेड ने मुंबई उच्च न्यायालय में एक विनिर्दिष्ट आदेश याचिका दायर करके प्रस्तावित नीलामी बिक्री को आक्षेपित किया, जिसे संक्षेप में खारिज कर दिया गया। हालाँकि, अपील में, चूंकि मेसर्स ठाकुर शिपिंग कंपनी लिमिटेड ने अपीलकर्ता को देय और भुगतान योग्य सभी प्रभारों का भुगतान करने का वचन दिया, नीलामी स्थगित कर दी गई। हालाँकि, मेसर्स ठाकुर शिपिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा प्रभारों का भुगतान नहीं किया गया था। तत्पश्चात्, अपीलकर्ता द्वारा पोत को बेचने के लिए आगे के प्रयास किए गए, जिन्हें मेसर्स ठाकुर शिपिंग कंपनी लिमिटेड के इशारे पर शुरू किए गए वाद के कारण फिर से रोक दिया गया। जब उक्त पोत अपीलकर्ता द्वारा गिरफ्तार रहा, तो 1990 में प्रथम उत्तरदाता,

याचिकाकर्ता लेनदार द्वारा मेसर्स ठाकुर शिपिंग कंपनी लिमिटेड के विरुद्ध पटना उच्च न्यायालय में एक कंपनी याचिका सं. 5/1990 दायर की गई। कंपनी याचिका में, आधिकारिक परिसमापक नियुक्त किया गया। उक्त कंपनी याचिका में दिनांक 5 अगस्त, 1995 को मेसर्स ठाकुर शिपिंग कंपनी लिमिटेड के समापन का एक आदेश पारित किया गया।

इस बीच, आधिकारिक परिसमापक ने अपीलकर्ता को उक्त पोत के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया और आगे निर्देश दिया कि यदि पोत को बेचा जाना प्रस्तावित है, तो कंपनी अधिनियम की धारा 446 के तहत उच्च न्यायालय की अनुमति ली जानी चाहिए।

दिनांक 11 अप्रैल, 1996 को, अपीलकर्ता ने पटना उच्च न्यायालय में उक्त कंपनी याचिका में एक आवेदन किया, जिसमें यह बताया गया कि 30.6.1995 तक 1,20,71,307 रुपये के पतन न्यास प्रभार देय हो गए थे और यह राशि 9,003 रुपये प्रति दिन की दर से बढ़ती जा रही थी। इसलिए, अपीलकर्ता ने, साथ-साथ प्रार्थना की कि उसे उक्त पोत के विक्रय आगम से अपने प्रभारों की वसूली करने की अनुमति दी जाए और दावा किया कि उक्त पोत के संबंध में अपीलकर्ता का अधिकार दूसरों की तुलना में श्रेष्ठ है। यह आवेदन का तात्पर्य था, हालांकि यह स्पष्ट रूप से इस तरह से शब्दबद्ध नहीं था। दिनांक 16 अगस्त, 1996 के आदेश द्वारा, पटना उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने माना कि उक्त पोत की बिक्री की अनुमति देने के लिए पहले ही एक आदेश पारित किया जा चुका है। यह उचित होगा कि पोत को अपीलकर्ता और आधिकारिक परिसमापक द्वारा संयुक्त रूप से बेचा जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि विक्रय आगम को आधिकारिक परिसमापक के पास जमा किया जाए। तत्पश्चात्, अपीलकर्ता ने दिनांक 16 अगस्त, 1996 के आदेश में संशोधन के लिए एक आवेदन किया, जिसमें प्रार्थना की गई कि अपीलकर्ता को अकेले पोत बेचने और उसके बकाया के लिए विक्रय आगम को रखने की अनुमति दी जाए। वे शेष राशि, यदि कोई हो, तो आधिकारिक परिसमापक को भेज देंगे। उच्च न्यायालय ने ऐसे संशोधन को अस्वीकार

करते हुए दिनांक 26 नवंबर, 1996 का आक्षेपित आदेश पारित किया है। उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि वैश्विक विज्ञापन जारी करने के बाद पोत को बेचा जाए। उच्च न्यायालय ने आगे निर्देश दिया है कि चूंकि मेसर्स ठाकुर शिपिंग कंपनी लिमिटेड के पास विज्ञापन या विक्रय की लागत को पूरा करने के लिए उपयोग किया जा सकने वाला कोई पैसा नहीं है, इसलिए अपीलकर्ता को ऐसे विज्ञापन और विक्रय की लागत और उससे जुड़े सभी आकस्मिक प्रभारों को पूरा करना होगा, जिसे अपीलकर्ता विक्रय आगम पर प्रथम प्रभार के रूप में वसूल करने का हकदार होगा। इस आदेश को वर्तमान अपील में आक्षेपित किया जा रहा है।

कंपनी अधिनियम की धारा 529 के तहत, एक दिवालिया कंपनी के समापन में, अन्य बातों के साथ-साथ, साक्ष्य योग्य ऋणों और सुरक्षित और असुरक्षित लेनदारों के संबंधित अधिकारों के संबंध में वही नियम प्रभावी और अवलोकित होंगे जो उस समय दिवालियापन कानून के तहत दिवालिया घोषित व्यक्तियों की संपदा के संबंध में लागू हैं। धारा 529 (1) का परंतुक यह निर्धारित करता है कि प्रत्येक सुरक्षित लेनदार की प्रतिभूति को उसमें श्रमिक के हिस्से की सीमा तक श्रमिकों के पक्ष में समानुपातिक प्रभार के अधीन माना जाएगा, जैसा कि उस धारा और धारा 529 ए में निर्धारित है। हालाँकि, समापन में एक सुरक्षित लेनदार की स्थिति से अपीलकर्ता-पत्तन न्यास की स्थिति कुछ अलग है। पोत, जो समापन में कंपनी की संपत्तियों में से एक है, को अपीलकर्ता ने प्रमुख बंदरगाह न्यास अधिनियम, 1963 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत अपनी दरों और प्रभारों की वसूली के लिए पोत को गिरफ्तार करने के अपने सांविधिक अधिकार के प्रयोग में गिरफ्तार कर लिया है। प्रमुख बंदरगाह न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 64 इस प्रकार प्रावधान करती है:

"धारा 64: पोत की कुर्की द्वारा दरों और प्रभारों की वसूली।

- (1) यदि किसी पोत का मास्टर जिसके संबंध में इस अधिनियम के तहत, या इसके अनुसरण में बनाए गए किसी भी विनियमों या आदेशों के तहत कोई

दर या जुर्माना देय है, मांग पर उसका या उसके किसी भी हिस्से का भुगतान करने से इनकार करता है या उपेक्षा करता है, तो बोर्ड ऐसे पोत और उससे संबंधित सामान, परिधान और उपकरण, या उसके किसी भी हिस्से को कुर्क या गिरफ्तार कर सकता है, और उसे तब तक निरुद्ध रख सकता है जब तक कि बोर्ड को देय राशि, उस किसी भी अवधि के लिए जिसके दौरान पोत कुर्की या गिरफ्तारी के अधीन है, के लिए प्रोद्भूत होने वाली ऐसी और राशि के साथ, भुगतान नहीं कर दी जाती है।

- (2) यदि उक्त दरों या जुर्माने का, या कुर्की या गिरफ्तारी की लागत का, या उसे रखने की लागत का कोई हिस्सा ऐसी किसी कुर्की या गिरफ्तारी के किए जाने के ठीक बाद पांच दिनों की अवधि के लिए अदत्त रहता है, तो बोर्ड इस प्रकार कुर्क या गिरफ्तार किए गए पोत या अन्य चीज को बेचने का कारण बन सकता है, और ऐसे विक्रय आगम से, ऐसी दरों या जुर्माने और लागतों को, जिसमें विक्रय की लागत भी शामिल है, को संतुष्ट करेगा, और अधिशेष (यदि कोई हो) को मांग पर ऐसे पोत के मास्टर को सौंप देगा।"

बंदरगाह प्राधिकरणों को पोत को गिरफ्तार करने और पोत को बंदरगाह सुविधाओं और सेवाओं के विस्तार के संबंध में उसे देय राशि का भुगतान होने तक उसे निरुद्ध रखने का एक सर्वोपरि अधिकार है। उप-धारा (2) के तहत, यदि उक्त दरों, प्रभारों, जुर्माने या कुर्की या गिरफ्तारी की लागत का, या उसे रखने की लागत का कोई हिस्सा ऐसी किसी कुर्की या गिरफ्तारी के किए जाने के ठीक बाद पांच दिनों की अवधि के लिए अदत्त रहता है, तो बोर्ड इस प्रकार कुर्क या गिरफ्तार किए गए पोत को बेचने का कारण बन सकता है। ऐसे विक्रय आगम ऐसी दरों या जुर्माने और लागतों को, जिसमें विक्रय की लागत भी शामिल है, को संतुष्ट करेंगे। अधिशेष, यदि कोई हो, तो ऐसे पोत के मास्टर को मांग पर सौंपा जाना है।

धारा 64 के तहत सांविधिक अधिकार अपने बकाया की वसूली के लिए पोत पर बंदरगाह प्राधिकरण के इस पर्यवेक्षण अधिकार को समाहित करता है। यह समापन में एक कंपनी के सुरक्षित और असुरक्षित लेनदारों के अधिकारों से ऊपर है - प्रस्तुत मामले में, शिपिंग कंपनी जो पोत की मालिक है। बंदरगाह प्राधिकरण जहाजों - राष्ट्रीय या विदेशी - को लंगर डालने और उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का लाभ उठाने की अनुमति देते हैं। भुगतान के लिए वे पोत पर देखते हैं। मालिक विदेशी हो सकता है या बंदरगाह प्राधिकरण के लिए अज्ञात भी हो सकता है। बकाया वसूली का बाद वाले का अधिकार किसी भी न्यायालय में मालिक के विरुद्ध लंबित किसी भी कार्यवाही से - चाहे वह समापन में हो या अन्यथा - प्रभावित नहीं होता है। बंदरगाह प्राधिकरण पोत के बंदरगाह में लंगर डाले रहने के दौरान उसे गिरफ्तार कर सकता है और यदि बकाया का भुगतान नहीं किया जाता है तो पोत के विक्रय द्वारा उस पोत के संबंध में अपना बकाया वसूल कर सकता है। पोत पर बंदरगाह प्राधिकरण का यह ग्रहणाधिकार सर्वोपरि है। बंदरगाह प्राधिकरण की सहमति के बिना, इस ग्रहणाधिकार को समाप्त नहीं जा सकता है या पोत को न्यायालय के निर्देशों के तहत या अन्यथा किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा बेचा नहीं जा सकता है। इस प्रकार, *अशोक आर्य बनाम एम.वी. कपितान मित्सोस, ए.आई.आर.* (1988) बॉम 329 के मामले में, बंबई उच्च न्यायालय ने द एमिली मिलन (*इन्फ्रा*) के निर्णय पर आधारित किया और अभिनिर्धारित किया कि डॉक या बंदरगाह प्राधिकरण को संविधि द्वारा दिया गया ग्रहणाधिकार न्यायालय द्वारा बुझाया नहीं जा सकता है जब तक कि यह प्राधिकरण की अभिव्यक्त या विवक्षित सहमति से न किया जाए।

ब्रिटिश शिपिंग लॉज सीरीज खंड 14, डॉ. डी.आर. थॉमस द्वारा "मैरीटाइम लिएंस" पर, कंडिका 414 में कहा गया है:

"414: एक सार्वजनिक या निजी संसद के अधिनियम द्वारा एक उपक्रम जैसे कि एक बंदरगाह, डॉक या बंदरगाह प्राधिकरण को पोत और संभवतः उसके

कार्गो को निरुद्ध करने और बेचने की शक्ति स्पष्ट रूप से दी जा सकती है। ऐसी शक्ति प्रथागत रूप से अदत्त बकाया और प्रभारों के लिए, या पोत द्वारा किए गए नुकसान या पोत और उसके कार्गो को प्रदान की गई आवश्यक सेवाओं के लिए एक प्रतिभूति प्रदान करने के लिए बनाई जाती है। अब यह सुस्थापित है कि निरोध और विक्रय का ऐसा सांविधिक अधिकार पोत के विरुद्ध अन्य सभी दावों पर प्राथमिकता में खड़ा होता है, क्योंकि शक्ति के निर्माण में, विधानमंडल का यही आशय माना जाता है। इन सांविधिक अधिकारों की विशिष्टता और श्रेष्ठता ऐसी है कि उन्हें प्राथमिकताओं के दायरे में आने वाला ठीक से नहीं माना जा सकता है। प्राथमिकताओं के प्रश्न पर केवल सांविधिक दावा संतुष्ट होने के बाद ही विचार किया जाना चाहिए।

सांविधिक अधिकार की श्रेष्ठता का अर्थ है कि एक डॉक या समान निकाय, यदि वह चुनता है, तो अपने सांविधिक अधिकारों का प्रयोग कर सकता है, भले ही पोत एडमिरल्टी मार्शल की गिरफ्तारी के अधीन हो, हालांकि उसे सीधे मार्शल की हिरासत में हस्तक्षेप करने की कोई शक्ति नहीं है; या वैकल्पिक रूप से, वह न्यायालय में पोत को गिरफ्तारी से मुक्त करने की मांग करने के लिए आवेदन कर सकता है। कॉलिन एम.आर. के शब्दों में: '...कोई भी बोर्ड की इच्छा के विरुद्ध सांविधिक प्रावधान को विखंडित या रद्द नहीं कर सकता है।' सांविधिक अधिकारों की प्रधानता की स्पष्ट पहचान के बावजूद न्यायालय फिर भी अन्य दावों के हित में, जो शामिल हो सकते हैं, डॉक या अन्य प्राधिकरण को अपने सांविधिक शक्तियों के प्रयोग में न्यायालय के प्रति जवाबदेह बन सकता है या, जब संभव हो, तो उपलब्ध प्रतिभूतियों को व्यवस्थित करने का निर्देश दे सकता है।"

[हमारे द्वारा रेखांकित]

बंबई उच्च न्यायालय ने *फॉरवर्डिंग प्रा. लि. और अन्य बनाम न्यास, विजागापट्टनम पत्तन और अन्य*, (1987) 61 कंपनी मामलों 513 के मामले में अभिनिर्धारित किया है कि समापन में एक कंपनी के पोत को गिरफ्तार करने और बेचने की बंदरगाह प्राधिकरणों की शक्ति प्रमुख बंदरगाह न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 64 से निकलती है, और उस उद्देश्य के लिए बंदरगाह प्राधिकरणों द्वारा कानूनी कार्यवाही का सहारा लेने का कोई प्रश्न नहीं है। इसलिए, धारा 64 के तहत सांविधिक अधिकारों का प्रयोग करते समय कंपनी अधिनियम, 1957 की धारा 446 के तहत अनुमति प्राप्त करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

एम.के. रंगनाथन और अन्य बनाम मद्रास सरकार और अन्य, [1955] 2 एस.सी.आर. 374 पृष्ठ 383, 387 पर, इस न्यायालय ने एक समापन कार्यवाही में एक सुरक्षित लेनदार की स्थिति के साथ-साथ न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना किसी भी संपत्ति को कुर्क करने और बेचने के हकदार व्यक्ति की स्थिति पर विचार किया। इसने कहा कि एक सुरक्षित लेनदार समापन से बाहर खड़ा होता है और न्यायालय की अनुमति के बिना अपनी प्रतिभूति का एहसास कर सकता है; हालाँकि यदि वह एक वाद दायर करता है या कानूनी कार्यवाही करता है तो उसे समापन न्यायालय की अनुमति की आवश्यकता होगी। न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना कुर्की या कुर्की समापन कार्यवाही के दायरे में नहीं हैं (देखें [1996] 4 एस.सी.सी. 165 भी)।

इसलिए, पोत पर एक बंदरगाह प्राधिकरण का ग्रहणाधिकार एक सर्वोपरि ग्रहणाधिकार है और पोत के विक्रय द्वारा बंदरगाह प्राधिकरण द्वारा अपने बकाया की वसूली सुरक्षित लेनदारों की प्राथमिकताओं से ऊपर है। दूसरे शब्दों में, बंदरगाह प्राधिकरण के सांविधिक ग्रहणाधिकार की सर्वोपरि स्थिति समापन में सुरक्षित लेनदारों के दावों से भी ऊपर है। धारा 64 के तहत अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए अपीलकर्ता, इसलिए, न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना पोत को बेचने का हकदार है। उस सर्वोपरि अधिकार का प्रयोग करते हुए, जो सुरक्षित लेनदारों सहित अन्य सभी लेनदारों के दावों को अधिरोहित करता है, अपीलकर्ता को

पोत को गिरफ्तार करने और बेचने का अधिकार है। अपीलकर्ता की सहमति के बिना, इस अधिकार को पोत के विक्रय आगम में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।

द एमिली मिलियन, (1905) 2 के.बी. 817 के मामले में इंग्लैंड के अपील न्यायालय ने मर्सी डॉक अधिनियम समेकन अधिनियम, 1858 की धारा 253 के तहत एक समान प्रावधान पर विचार किया। इसने अभिनिर्धारित किया कि ऐसे पोत को निरुद्ध रखने के लिए बंदरगाह बोर्ड का अधिकार जब तक कि ऐसे सभी दरों का भुगतान नहीं किया जाता है, बोर्ड को पोत को तब तक निरुद्ध रखने का एक सर्वोपरि अधिकार देता है जब तक कि उस पर देय डॉक टन भार और दरों का भुगतान नहीं किया जाता है, इस तथ्य के बावजूद कि पोत के मास्टर और चालक दल के पास डॉक में प्रवेश करने से पहले देय वेतन के लिए उस पर एक समुद्री ग्रहणाधिकार है। लेकिन यह अधिकार तब तक बना रहेगा जब तक पोत को गिरफ्तार नहीं किया जाता है और उसके द्वारा बेचा नहीं जाता है।

मर्सी डॉक्स एंड हार्बर बोर्ड बनाम हे, री द काउंटेस, (1923) अपील 345, के मामले में हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने बंदरगाह बोर्ड के अधिकार को एक सीमा निधि के लिए अन्य सभी दावों पर प्राथमिकता में अपने बकाया की वसूली के लिए विस्तारित किया। इसने अभिनिर्धारित किया कि बंदरगाह बोर्ड द्वारा उन्हें प्रदान किए गए पोत को निरुद्ध रखने के सांविधिक शक्ति का प्रयोग एक कब्जे का ग्रहणाधिकार प्रदान करता है। यह ग्रहणाधिकार पोत के मालिक की देयता की सीमा से संबंधित व्यापारी शिपिंग अधिनियम की धारा 504 के प्रावधानों से, न तो अभिव्यक्त रूप से और न ही विवक्षित रूप से, प्रभावित था। हालाँकि, इसने कहा कि न्यायालय को एक पोत मालिक की देयता की सांविधिक राशि (सीमा निधि) का वितरण करते समय दावों की प्राथमिकताओं के साथ-साथ राशियों पर भी ध्यान देना चाहिए। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने निर्देश दिया कि पूरी निधि बंदरगाह बोर्ड को भुगतान की जानी चाहिए।

री द क्वीन ऑफ द साउथ, (1968) 1 ए.ई.आर. 1163 के बाद के निर्णय में न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि जहाँ सभी संबंधितों के लिए यह लाभकारी होगा कि एडमिरल्टी मार्शल पोत को बेच दे और विक्रय आगम से डॉक प्राधिकरण के दावे का भुगतान करे, तो न्यायालय मार्शल को बंदरगाह बोर्ड के सांविधिक कब्जे के ग्रहणाधिकार से मुक्त पोत को बेचने के लिए अधिकृत कर सकता है और मार्शल को बंदरगाह बोर्ड के बकाया का भुगतान करने के लिए अधिकृत कर सकता है बशर्ते बंदरगाह बोर्ड निरोध और विक्रय के अपने अधिकारों का प्रयोग न करने के लिए न्यायालय को एक लिखित वचन देता है। इसलिए, बंदरगाह बोर्ड की सहमति के बिना, उनके निरोध और विक्रय के अधिकार को जहाज से ही उस निधि में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है जो न्यायालय में जहाज की विक्रय आगम से प्राप्त आय से गठित की गई है।

प्रस्तुत मामले में अपीलकर्ता समापन में न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों पर आपत्ति जता रहा है, जिसमें आधिकारिक परिसमापक को अपीलकर्ता के साथ पोत को बेचने और विक्रय आगम को न्यायालय में लाने का निर्देश दिया गया है। पोत के विरुद्ध अपने दावों के संबंध में अपीलकर्ता की एक पर्यवेक्षण प्राथमिकता है। उसे उस पोत को बेचने और विक्रय आगम से प्राप्त राशि को वसूल करने का अधिकार है। अपीलकर्ता को उसकी सहमति के बिना इस सांविधिक अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है या कंपनी अधिनियम के तहत अन्य प्राथमिकताओं के अधीन नहीं किया जा सकता है। अपीलकर्ता ने उक्त पोत के संबंध में कोई भी वैश्विक विज्ञापन जारी करने पर भी आपत्ति जताई है क्योंकि पोत 1987 से लंगरगाह पर पड़ा हुआ है और बहुत जर्जर हालत में है। इसके अंतर्राष्ट्रीय बोली को आकर्षित करने की संभावना नहीं है। विक्रय आगम से अपीलकर्ता के पूरे सांविधिक प्रभारों को भी कवर किए जाने की संभावना नहीं है। अपीलकर्ता ने समापन में अन्य सुरक्षित लेनदारों के बराबर माने जाने पर भी आपत्ति जताई है।

अपीलकर्ता को सांविधिक रूप से दी गई पर्यवेक्षण प्राथमिकता को देखते हुए, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश को अपास्त किया जाता है। अपीलकर्ता अपने नियमों और विनियमों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पोट को नीलामी द्वारा बेचने का हकदार होगा। चूंकि विक्रय में आधिकारिक परिसमापक और/या प्रथम उत्तरदाता (याचिकाकर्ता लेनदार) का एक प्रतिनिधि उपस्थित रहने पर अपीलकर्ता को कोई आपत्ति नहीं है, इसलिए आधिकारिक परिसमापक के लिए विक्रय में उपस्थित रहने के लिए अपने प्रतिनिधि को प्रतिनियुक्त करना खुला होगा और वही अधिकार प्रथम उत्तरदाता को भी दिया जाता है।

अपीलकर्ता उक्त पोट के विक्रय आगम से कानून के अनुसार अपने सांविधिक बकाया की वसूली करने का हकदार होगा और विक्रय आगम का कोई भी अधिशेष, यदि कोई हो, तो अपीलकर्ता द्वारा समापन में आधिकारिक परिसमापक के पास जमा किया जाएगा। अपीलकर्ता आधिकारिक परिसमापक के समक्ष समापन की कार्यवाही में अपने बकाया और पोट के विक्रय आगम से उसकी वसूली का एक लेखा-जोखा भी दाखिल करेगा। ऐसा करने पर अपीलकर्ता को कोई आपत्ति नहीं है। बकाया की वसूली में किसी भी कमी के संबंध में, अपीलकर्ता कानून के अनुसार समापन कार्यवाही में शेष राशि के लिए अपना दावा दायर कर सकता है।

अपील तदनुसार स्वीकार की जाती है। हालाँकि, लागत के रूप में कोई आदेश नहीं होगा।

वी.एस.एस.

अपील स्वीकार।

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।